मानव सम्पदा पोर्टल / अति महत्वपूर्ण

संख्या- 5/2024/268/सैतालीस-का-5-2024-(1788429)

प्रेषक,

एम० देवराज,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊ: 20-08-2024**

विषय:-समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी विवरणों के ऑनलाइन रख - रखाव तथा मेरिट बेस्ड ऑनलाइन स्थानान्तरण किये जाने हेतु मानव सम्पदा पोर्टल विकसित किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या- 63/सैतालीस-का-5-2024-(1788429), दिनांक 24.02.2024 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में कार्यरत समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष 2023-24 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- प्रकरण में कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-63(1)/सैतालीस-का-5-2024-(1788429), दिनांक 05.04.2024, पत्र संख्या-163(1)/सैतालीस-का-5-2024-(1810563), दिनांक 07.05.2024 एवं पत्र संख्या-188/सैतालीस-का-5-2024-(1788429), दिनांक 15.05.2024 द्वारा समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष 2023-24 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किये जाने के संबंध में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश देते हुए Work flow दिनांक 31 मई, 2024 तक जेनरेट किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। पत्र संख्या-202/सैतालीस-का-5-2024, दिनांक 31.05.2024 द्वारा Work flow जेनरेट किये जाने की अंतिम तिथि 15.06.2024 तक बढाई गयी थी।

3- उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष 2023-24 में समूह 'क' तथा 'ख' के संबंधित अधिकारी द्वारा दिनांक 31.10.2024 तक स्वमूल्यांकन आख्या पोर्टल पर प्रस्तुत न किये जाने की दशा में उक्त अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की रिक्त / शून्य स्वमूल्यांकन आख्या अगले स्तर पर ऑटो फारवर्ड (Auto-Forward) किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-207/ सैतालीस-का-5-2024-(1788429), दिनांक 28.06.2024 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

4- दिनांक 09.08.2024 को पोर्टल पर प्रदर्शित सूचना के अनुसार पोर्टल पर पंजीक्रत समूह 'क' एवं 'ख' के कुल 51,766 कार्मिकों के सापेक्ष 44,576 का वर्कफ्लो जनरेट हो चुका है, 5170 कार्मिक छूट की श्रेणी में अंकित है (कुल 95 प्रतिशत)। इस प्रकार अवशेष 2020 कार्मिकों का वर्कफ्लो जनरेट किया जाना शेष है।

5- अत: इस संबंध में वर्क फ्लो जनरेशन की समयावधि दिनांक 15.09.2024 तक करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अवशेष कार्मिकों के वर्क फ्लो जनरेशन का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 15.09.2024 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद / विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. वेब अधिकारी / वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in